वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2019-20

Rajasthan State Power Finance and Financial Services Corporation Limited ™

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक
प्रशासनिक प्रतिवेदन
2019-20

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

1, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास,
जयपुर (राजस्थान) 302 015

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ संख्या
कॉरपोरेशन : एक परिचय	
• गठन	1
• पुनर्गठन	2
• उद्‌देश्य	2
• प्रस्तावित संसाधन	3
• निदेशक मण्डल	4
वित्तीय परिदृश्य	
• बजट आवंटन	5
उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ	
• प्रगति	6
• पदों का सृजन	8
• सेवा एवं वित्तीय नियम	9
• प्रचार–प्रसार	9
दूरभाष निर्देशिका	10
कॉरपोरेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र	11
गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का पंजीकरण	12

गठन

राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance Corporation Limited) का गठन मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 04.10.2012 की पालना में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (Public Limited Company) के रूप में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया।

कॉरपोरेशन को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था (Non Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.2013 को जारी किया।

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को सस्ते ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया। इस कॉरपोरेशन को वित्तीय संस्थानों द्वारा सरलता से ऋण मिल सके, इसके लिए राज्य के विभिन्न उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया, जिससे इसकी सम्पत्ति का सुदृढ आधार (Asset Base) बन सकें।

किन्तु, कॉरपोरेशन के गठन के इस आधार का पुनः परीक्षण करने पर पाया कि;

- किसी भी कॉरपोरेशन का केवल सम्पत्ति आधार (Asset Base) देखकर ही वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण नहीं दिया जाता।
- राज्य के विभिन्न उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का हस्तांतरण भी आसान नहीं था।
- न ही कॉरपोरेशन के पास सम्पत्तियों के निस्तारण की कोई विशेषज्ञता थी।
- अतः कॉरपोरेशन के गठन के इस आधार को आर्थिक एवं तार्किक दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया। इस कारण से कॉरपोरेशन के संचालन का आधार बदलने एवं कॉरपोरेशन के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।

पुनर्गठन

मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 196/2015 दिनांक 14.10.2015 द्वारा इस कॉरपोरेशन के उद्देश्यों में फाईनेन्शियल सर्विसेज के उद्देश्य सम्मिलित किये जाकर पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित कॉरपोरेशन का नाम राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance & Financial Services Corporation Limited) किया गया।

राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि जिसको वे बैंकों में सावधि (Fixed Deposit) में जमा कराकर ब्याज अर्जित करते हैं। अब उन्हें ऐसी धनराशि को राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास जमा करवानी होगी। इस जमा राशि पर उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दर पर ब्याज दिया जावेगा। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास उपलब्ध एवं एकत्र ऐसी धनराशि से राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों को उनकी आवश्यकता होने पर लघु अवधि के ऋण, बाजार दर से कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाये जावेगें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कम्पनी का नवीन नाम रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के रिकार्ड में दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नवगठित कम्पनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करते रहने के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिनांक 24.11.2016 को जारी किया।

उद्देश्य

- राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेशन को उपलब्ध अंशपूँजी (Equity) एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि का राज्य के अन्य उपक्रमों को ऋण उपलब्धता हेतु अधिकतम उपयोग किया जाना।
- जिन राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की आवश्यकता हो उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।
- राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की प्राप्ति हेतु बैंकों पर निर्भरता में कमी लाना।

- राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाकर राजकीय प्रत्याभूति (Government Guarantees) पर ऋणों की निर्भरता में कमी लाना।
- विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण/संरक्षण की परियोजनाओं की विद्युत कम्पनियों द्वारा स्थापना ,संचालन तथा रखरखाव हेतु सीधे तौर पर, परोक्ष रूप से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं की साझेदारी में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- विद्युत उत्पादन, प्रसारण अथवा वितरण कम्पनियों को cables, transformers, conductors, उपकरण एवं मशीनरी,भवन वाहन, भूमि, बिजली इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- राज्य में स्थापित विद्युत कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बॉण्ड्स हेतु प्रत्याभूति देना एवं इन्हें underwrite करना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋणों, बॉण्ड्स, शेयर्स अथवा पूंजी निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- संसाधन विकसित करने की दृष्टि से स्वयं अथवा अन्य किसी कम्पनी के साथ Property Development and Management का कार्य करना।
- विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई गतिविधियों, जैसे कोयला एवं अन्य खनन इत्यादि जिसका उपयोग विद्युत परियोजनाओं के ईंधन के रूप में किया जाना है, हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- राज्य की विद्युत कम्पनियों हेतु आवश्यक अध्ययन सम्पादित करवाना एवं consultancy services provide करना।

प्रस्तावित संसाधन

1. राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एवं फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया राज्य सरकार की एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (Non Banking Financial Company) है, जिसकी;
    - अधिकृत पूंजी रु. 250 करोड़ है एवं
    - निर्गमित (issued) व अभिदत्त (subscribed) पूँजी रू. 90 करोड़ है।

2. राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रम जिनके पास अधिशेष धनराशि उपलब्ध है, जिसको वे बैंकों में सावधि (Fixed Deposit) में जमा कराकर ब्याज अर्जित करते हैं। अब वे ऐसी राशि को राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास जमा करवायेगें।

निदेशक मण्डल

1. राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एवं फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार है।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, कम्पनी के पदेन अध्यक्ष है एवं शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, कम्पनी के पदेन प्रबन्ध निदेशक है।
3. उक्त के अतिरिक्त कॉरपोरेशन में छः अन्य पदेन निदेशक हैं।

वर्तमान में कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्नानुसार है:–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग	निदेशक
शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	निदेशक
शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	प्रबंध निदेशक
आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	निदेशक
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	निदेशक
प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड	निदेशक
प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित निगम	निदेशक

बजट 2019-20

(रू. लाखों में)

प्राप्तियाँ		बजट प्रावधान (2019-20)	प्राप्तियाँ (31.12.2019 तक)
I.	**राजस्व**		
1	ऋणों से ब्याज की प्राप्तियाँ	360.00	0.00
2	निवेश से प्राप्त ब्याज	536.00	156.58
	योग I	**896.00**	**156.58**
II.	**पूँजी**	..	..
1	राजकीय अंश	..	..
2	बॉण्ड उत्थापन	..	..
3	डिपोजिट(राजकीय संस्थानों से)	200.00	
	योग II	**200.00**	**0.00**
	कुल योग I+II	**1096.00**	**156.58**

व्यय		बजट प्रावधान (2019-20)	व्यय (31.12.2019 तक)
I.	**राजस्व**		
1	प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय	252.39	87.89
2	वित्त व्यय बॉण्ड उत्थापन व्यय सहित	13.00	0.00
3	बॉण्ड प्रकिया पर अन्य व्यय	0.10	0.00
4	अनुसंधान एवं विकास व्यय	1.00	0.00
5	सी.एस.आर में व्यय	36.00	0.00
	योग I	**302.49**	**87.89**
II.	**पूँजी**		
1	फर्नीचर	1.00	0.00
2	कार्यालय उपकरण	2.00	0.00
3	ऋण	4000.00	0.00
	योग II	**4003.00**	**0.00**
	कुल योग I+II	**4305.49**	**87.89**

प्रगति

राजस्थान स्टेट पॉवर फाईनेंस एवं फाईनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पुनर्गठन के पश्चात् कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कम्पनी का नवीन नाम दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत करवाया गया। कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन (Memorandum of Association) में नए उद्देश्य जोड़े गये एवं उनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में करवाया गया।

- **गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non Banking Financial Institution)**

  भारतीय रिजर्व बैंक ने नवगठित कम्पनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करते रहने के लिये प्रमाण–पत्र दिनांक 24.11.2016 को जारी किया।

  कॉरपोरेशन द्वारा अब तक निम्न नीतियाँ तैयार की गई है;

- **डिपोजिट नीति (Deposit Policy)**

  राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रमों से डिपाजिट प्राप्त करने के लिये डिपोजिट नीति (Deposit Policy) तैयार की गई तथा इसका प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष की स्वीकृति के उपरान्त निदेशक मण्डल ने दिनांक 14 अगस्त 2018 को आयोजित बैठक में अनुमोदन किया।

- **ब्याज दर नीति (Interest Rate Policy)**

  कम्पनी द्वारा विभिन्न राजकीय उपक्रमों को दिये जाने वाले ऋणों तथा उनसे प्राप्त होने वाले डिपोजिट्स पर ब्याज का निर्धारण करने के लिये ब्याज दर नीति (Interest Rate Policy) तैयार की गई जिसका प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष की स्वीकृति के उपरान्त निदेशक मण्डल ने दिनांक 14 अगस्त, 2018 को आयोजित बैठक में अनुमोदन किया गया।

- **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (Corporate Social Responsibility Policy)**

  कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2017 को आयोजित 18वीं बैठक में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व नीति (Corporate Social Responsibility Policy) का अनुमोदन किया गया।

- **निवेश नीति (Investment Policy)**

  कॉरपोरेशन के निवेश संबंधी कार्यों के सुप्रबंधन हेतु कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को आयोजित 19वीं बैठक में निवेश नीति (Investment Policy) का अनुमोदन किया गया।

- **ऋण नीति (Credit Policy)**

  राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये निदेशक मण्डल ने दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को आयोजित 15वीं बैठक में ऋण नीति (Credit Policy) का अनुमोदन किया गया।

उक्त नीतियों के अतिरिक्त कॉरपोरेशन में नीचे अंकित समितियां का गठन किया गया;

- **कॉरपोरेट सोशियल रेस्पोंसीबिलिटी समिति (Corporate Social Responsibility Committee)**

  कॉरपोरेट सोशियल रेस्पोंसीबिलिटी समिति का गठन 31 मार्च, 2017 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में किया गया।

- **वित्त समिति (Finance Committee)**

  वित्त समिति का गठन 02 फरवरी, 2017 को आयोजित बैठक में किया गया।

- **लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee)**

  लेखा परीक्षा समिति का गठन दिनांक 31 मई, 2013 को आयोजित बैठक में किया गया।

- **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination & Remuneration Committee)**

  नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन निदेशक मण्डल की दिनांक 29 सितम्बर, 2015 को आयोजित बैठक में किया गया।

1. कम्पनी के सभी शेयर होल्डर्स की वार्षिक सामान्य बैठक (Annual General Meeting) दिनांक 14 नवंबर, 2019 को आयोजित की गई।
2. कम्पनी की इन्टरनल ऑडिट, सेक्रेट्रियल ऑडिट, स्टेट्यूटरी ऑडिट, महालेखाकार की ओर से आयोजित वित्तीय ऑडिट एवं सप्लीमेन्ट्री ऑडिट, समय से सम्पन्न हुई, जिनमें किसी विशेष अनियमितता का उल्लेख नहीं है।
3. उक्त वर्णित समस्त ऑडिट रिपोर्ट्स की अनुपालना तैयार की गई।

पदों का सृजन/कार्यरत कार्मिक

कॉरपोरेशन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 32 पद स्वीकृत किये गये हैं। इन स्वीकृत पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	पद विवरण	पदों की संख्या
1.	प्रतिनियुक्ति के पद	25
2.	विशेष चयन के पद	06
3.	सीधी भर्ती के पद	01

1. प्रतिनियुक्ति के 25 पदों के विरूद्ध निम्नांकित पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैः–
   - महाप्रबन्धक (वित्त) – अतिरिक्त कार्यभार
   - महाप्रबन्धक (सिस्टम्स) – अतिरिक्त कार्यभार
   - सहायक महाप्रबन्धक (लेखा) – अतिरिक्त कार्यभार
   - सहायक महाप्रबन्धक (HR/Adm) – RVUNL से प्रतिनियुक्ति पर
   - प्रबन्धक (लेखा) – निदेशालय, कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर

2. विशेष चयन से भर्ती के लिये सृजित पदों में से अभी किसी पद पर भर्ती नहीं की गई है।
3. सीधी भर्ती के लिये सृजित एक मात्र पद कम्पनी सचिव के पद पर एजेंसी के माध्यम से पूर्ण कालिक कम्पनी सचिव कार्यरत है।
4. सूचना सहायक के 2 पदों के विरूद्ध दो मैन विद मशीन एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत हैं।
5. सहायक के 6 पदों में से 3 के विरूद्ध एजेन्सी के माध्यम से 3 सहायक कर्मचारी कार्यरत हैं।
6. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत अधिकारी कार्यरत हैः–

मुख्य सलाहकार (बैंकिंग)	–	भारतीय रिजर्व बैंक के उपमहाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त।
मुख्य सलाहकार (प्रशासन)	–	राजस्थान प्रशासनिक सेवा से अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त।

सेवा एवं वित्तीय नियम

वर्तमान में विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करने, उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते आदि स्वीकृत करने, स्टोर के क्रय एवं संधारण, कार्यालय की प्रक्रिया एवं पद्धति आदि के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम लागू हैं।

प्रचार–प्रसार

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर, राजस्थान सरकार के उपक्रम के रूप में स्थापित की गई है एवं कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 1–बजाज नगर एनक्लेव, बजाज नगर, जयपुर में स्थित है।

कम्पनी की वेबसाइट ***rspfcl.rajasthan.gov.in*** स्थापित की गई है। वेबसाइट पर उपक्रम के विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी, उपक्रम द्वारा जारी की जाने वाली निविदा, भर्ती सम्बन्धी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है।

दूरभाष निर्देशिका

क्र. सं.	नाम	पद	सम्पर्क नम्बर
1.	श्री निरंजन कुमार आर्य आईएएस	अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)	0141–2227664
2.	श्री हेमन्त कुमार गेरा आईएएस	प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग	0141–2227934
3.	श्री आशुतोष वाजपेयी	महाप्रबंधक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	0141–2227450
4.	श्री अकुल भार्गव	महाप्रबंधक (सिस्टम्स)	0141–2227094
5.	श्री जम्बू कुमार जैन	सहायक महाप्रबन्धक (लेखा)	0141–2708611
6.	श्री पंकज जांगिड	सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)	0141–2708611
7.	श्री गिरीश कुमार चेलानी	प्रबन्धक (लेखा)	0141–2708611
8.	श्री आर.आर. पोद्दार	मुख्य सलाहकार (बैंकिंग)	0141–2708611
9.	श्री एस.सी.सोनी	मुख्य सलाहकार (प्रशासन)	0141–2708611
10.	सुश्री कृति जोशी	कम्पनी सचिव	0141–2708611

कॉरपोरेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Registrar of Companies, Jaipur
G/6-7 , Second Floor , Residency Area , Civil Lines Jaipur - 302001, Rajasthan, INDIA

Certificate of Incorporation pursuant to change of name
[Pursuant to rule 29 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Corporate Identification Number (CIN): : U65923RJ2012SGC041087

I hereby certify that the name of the company has been changed from RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED to RAJASTHAN STATE POWER FINANCE AND FINANCIAL SERVICES CORPORATION LIMITED with effect from the date of this certificate and that the company is limited by shares.

Company was originally incorporated with the name RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED
Given under my hand at Jaipur this Fifth day of January Two Thousand Sixteen.

Signature valid

IMRAN AHMAD SIDDIQUI
Registrar of Companies
Registrar of Companies
Jaipur

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

RAJASTHAN STATE POWER FINANCE AND FINANCIAL SERVICES CORPORATION LIMITED
PLOT NO.1 BAJAJ NAGAR ENCLAVE, NEAR GANDHI NAGAR RELWAY STATION,
JAIPUR - 302015,

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था पंजीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

Jaipur REGIONAL OFFICE

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या No.	**B-10.00226**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड** को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार ~~प्रारंभ करने~~ / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

RAJASTHAN STATE POWER FINANCE AND FINANCIAL SERVICES CORPORATION LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन नवंबर दो हज़ार सोलह की चौबीस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at

this Twenty Fourth day of November Two Thousand Sixteen

(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)

General Manager / ~~Deputy General Manager~~

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. / TP-2020

पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालयः

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

CIN : U65923 RJ 2012 SGC 041087

1, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास,
जयपुर (राजस्थान) 302 015

दूरभाषः 91-141-2708611, ईमेलः rspfcl@rajasthan.gov.in

Visit us at: rspfcl.rajasthan.gov.in